प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

{व्यवहार वाद सं. 1-**A**/2004 में 10वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ. टी. सी.), बिलासपुर द्वारा पारित 28.01.2005 दिनांकित निर्णय और डिक्री से उद्भूत}

प्रथम अपील सं. 254/2005

1. झुमुक लाल, पिता- रामगीला भाई, आयु लगभग 60 वर्ष

2. सेवक्रम (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से

2. क श्रीमती पुष्पा भोई, पति परमानंद भोई, आयु- लगभग 55 वर्ष, निवासी- महामई तालाब के पास, पुरानी बस्ती, महासमुंद, छत्तीसगढ़

2. ख श्रीमती सविता भोई, पति- संतोष कुमार भोई, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी- सेंदरी, तहसील व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. ग श्रीमती मंजू भोई, पति- स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद, आयु- लगभग 30 वर्ष, निवासी- गाँव निरतू, तहसील तख्तपुर, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. घ संतोष भोई, पिता- स्वर्गीय सेवक राम, आयु- लगभग 25 वर्ष, निवासी- कतियापारा, तहसील व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---- अपीलार्थी

बनाम

1. महेंद्र भार्गव, पिता- श्री राधेलाल, आयु- लगभग 35 वर्ष

2. देवेन्द्र भार्गव, पिता- श्री राधेलाल, आयु- लगभग 25 वर्ष, दोनों निवासी- जूना बिलासपुर, कतियापारा भोईपारा, तहसील व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. खम्हनलाल, पिता- भुलाउराम भोई, आयु- लगभग 43 वर्ष, क्लर्क, चुनाव शाखा, कलेक्टर का कार्यालय, कोरबा, जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

अपीलार्थियों की ओर से : श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री मलय कुमार भादुड़ी, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर

पीठ पर निर्णय

द्वारा- श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30/08/2018

1. वादी के वाद को विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय (रेस जुड़िकाटा) के सिद्धांत के आधार पर पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

2. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से जो अविवादित तथ्य सामने आए हैं, वे यह हैं कि वादी ने 10.07.1968 दिनांकित विक्रय विलेख द्वारा वाद संपत्ति को प्रतिवादियों के पिता राधेलाल भार्गव को रु. 600/- में बेचा था और विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर कब्जा भी सौंप दिया गया था। अपीलार्थियों ने राधेलाल भार्गव के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए व्यवहार वाद सं.199-**A**/84 (झुमुकलाल व एक अन्य बनाम राधेलाल भार्गव) प्रस्तुत की। उक्त सिविल वाद को विचारण न्यायालय द्वारा अपने 10.11.1987 दिनांकित निर्णय व डिक्री द्वारा स्वीकार किया गया यद्यपि अपीली न्यायालय ने सिविल अपील सं. 171-**A**/89 (राधेलाल बनाम झुमुकलाल व एक अन्य) में पारित अपने 08.04.1993 दिनांकित निर्णय व डिक्री द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को अन्य बातों के साथ यह अभिनिर्धारित करते हुए अपास्त कर दिया कि वादियों के विक्रय विलेख के दिनांक से वाद भूमि पर काबिज नहीं होने के कारण उनके लिए कब्जा पुनः प्राप्त करने के अनुतोष हेतु

प्रार्थना करना आवश्यक था जिसके बिना स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना हेतु साधारण प्रार्थना ग्राह्य नहीं होगा तथा वाद पोषणीय नहीं है।

3. पिछले वाद में अपीली न्यायालय ने वादी द्वारा की गई इस स्वीकारोक्ति का उल्लेख करने के बाद विशेष रूप से एक निष्कर्ष अभिलिखित किया कि जब राधेलाल भार्गव ने कब्जा रिक्त नहीं किया था तो वाद प्रस्तुत किया गया। पिछले वाद में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अनुतोष इस आधार पर मांगा गया था कि विक्रय विलेख एक नकली संव्यवहार था क्योंकि वादी ने रु. 600/- का ऋण प्राप्त किया था तथा विक्रय विलेख को ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया था। वर्तमान प्रकरण, 13.12.2000 को अर्थात् पिछले वाद में अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री के लगभग 7 वर्ष बाद, फिर से एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के साथ-साथ यह घोषणा करने के लिए संस्थित किया गया था कि वादी वाद संपत्ति के स्वामित्व धारक के रूप में काबिज हैं। एक बार फिर, कब्जे की वसूली के लिए वादपत्र में कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक विवाद्यक सं. 6 तैयार किया कि क्या प्रकरण पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है और वादी के विरुद्ध उसी का जवाब दिया है और अंततः वाद को पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

5. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सोमनाथ वर्मा का तर्क है कि पिछले वाद में विषय वस्तु खुली भूखंड थी जबकि वर्तमान वाद में मकान के साथ-साथ खुली भूखंड को वाद संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है, अतः वाद की संपत्तियां अलग-अलग होने के कारण, पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। विद्वान अधिवक्ता आगे यह तर्क करते हैं कि पिछले वाद के वादपत्र और लिखित कथन अभिलेख में नहीं थे, अतः विचारण न्यायालय पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) के अभिवाक् पर निर्णय नहीं कर सकता था।

6. उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मलय कुमार भादुड़ी, इसके विपरीत, **रामधर श्रीवास बनाम भगवानदास**[1] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का

1 (2005) 23 SCC 1

उल्लेख यह तर्क देने के लिए करते हैं कि भले ही दो वादों के विषय वस्तु भिन्न हैं परन्तु संपत्ति का एक हिस्सा समान था, पहले के वाद में निर्णय वादी को बाध्य करेगा और वर्तमान वाद पूर्व न्याय (रेस जुडिकाटा) के सिद्धांतों द्वारा वर्जित होने के कारण उचित रीति से खारिज कर दिया गया है।

7. हमने पिछले वाद में दोनों न्यायालयों के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति देखी है, जो विचारण न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध हैं।

8. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित अपीली न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अंतिम रूप मिल गया है, क्योंकि वादी द्वारा दूसरी अपील प्रस्तुत कर इसे चुनौती नहीं दी गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित पिछली डिक्री की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वाद संपत्ति प्रतिवादियों के पिता राधेलाल भार्गव को बेची गई भूमि है जबकि वर्तमान वाद में भूमि के साथ-साथ आसपास के मकान को भी वाद संपत्ति बना दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. वर्तमान वाद में प्रस्तुत लिखित कथन में प्रतिवादियों ने वादपत्र की कण्डिका 1 के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे वादी के स्वामित्व वाले मकान से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने केवल 10-07-1968 दिनांकित के विक्रय विलेख द्वारा खुली भूमि खरीदी है। वादी ने कब्जे की वसूली के किसी अनुतोष के लिए प्रार्थना नहीं की है, अतः जब पिछले वाद में अभिलेखित निष्कर्षों के साथ वादपत्र के अधिकथनों को पढ़ा जाता है, तो यह प्रतीत होता है कि वादी 10-07-1968 से लगभग पांच दशकों से काबिज नहीं हैं।

10. यह स्थापित है कि पक्षकारों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य पूर्व निर्णय (रेस जुडिकाटा) के सिद्धांत लागू होंगे, भले ही वाद संपत्ति का भाग ही समान हो। यदि किसी पिछले वाद में पक्षों के मध्य कोई निर्णय दिया गया है और वादी का प्रकरण खारिज कर दिया गया है जो अंतिम रूप ले चुका है, तो वर्तमान प्रकरण न केवल सिविल प्रक्रिया

संहिता, 1908 की धारा 11 के तहत परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के तहत भी वर्जित होगा।

11. हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि जब वादी पहला प्रकरण लाए तो उन्हें पूरे दावे को सम्मिलित करना चाहिए था जिसमें अनिवार्य रूप से कब्जे की वसूली का दावा सम्मिलित होता है, अतः यदि वे कब्जे के लिए अनुतोष लेने में विफल रहे हैं, तो वे कुछ अन्य हिस्से को सम्मिलित करके वाद की संपत्ति को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं और बड़ा नहीं कर सकते हैं, जो उनके कब्जे में है और दावा करने के लिए पिछले वाद में दोषों को छिपाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वे पूरे वाद की भूमि के कब्जे में हैं। पिछले वाद में यह निष्कर्ष निकालते हुए कि वादी के पास खुली भूमि का कब्जा नहीं है, जो कि दिनांकित विक्रय विलेख के तहत बेची गई संपत्ति थी, वादी की कब्जे के लिए अनुतोष का दावा नहीं करने की गलती को केवल इस कारण से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान वाद में कुछ अन्य संपत्ति भी सम्मिलित है जिस पर वादी का कब्जा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की चतुराई को महसूस करते हुए प्रतिवादियों ने लिखित कथन की कंडिका 1 में कहा है कि वे मकान से संबंधित नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सुसंगत विक्रय विलेख के तहत केवल एक भूखंड खरीदा है।

13. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 उप-नियम (1) के तहत यह उपबंधित है कि प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा सम्मिलित होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है, परन्तु एक वादी वाद को किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए अपने दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ सकता है। उपनियम (3) में यह प्रावधान है कि वाद कारण एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक अनुतोष का हकदार व्यक्ति ऐसी सभी या किसी भी अनुतोष के लिए प्रकरण प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु यदि वह न्यायालय की अनुमति के अलावा ऐसे सभी अनुतोषों के लिए प्रकरण प्रस्तुत करने में चूक करता है, तो वह बाद में इस तरह से छोड़ी गई किसी भी अनुतोष के लिए प्रकरण नहीं करेगा।

14. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 की धारा 11 और नियम 2 के उप-नियम (3) की कठोरता से बचने के लिए अतिरिक्त भाग को सम्मिलित कर वर्तमान वाद को इस तरह से तैयार किया गया है, हालांकि, इससे वादी को लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि प्रतिवादियों ने कहा है कि वे वाद की संपत्ति के दूसरे हिस्से से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं, जिसे वर्तमान वाद में जोड़ा गया है, उस भूमि के ऊपर जो पिछले वाद में सम्मिलित की गई थी।

15. इस संबंध में **रामाधार श्रीवास** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कण्डिका 22 में की गई टिप्पणी को संदर्भित करना लाभदायक होगा :

> 22. स्पष्टीकरण **IV** में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि जहां पक्षकारों को किसी मामले का विरोध करने का अवसर मिला है, उसे वही माना जाना चाहिए जैसे कि मामला वास्तव में विवादित और तय किया गया था। स्पष्टीकरण **IV** का उद्देश्य वादी या प्रतिवादी को एक ही वाद में हमले या बचाव के सभी आधार लेने के लिए मजबूर करना है। (निर्मल एनेम होरो बनाम जोहान आरा जयपाल सिंह, एस. सी. सी. पृ. 192 पर : ए.आई.आर पृ. 1409 पर, जसवंत सिंह बनाम निकासी संपत्ति का संरक्षक, फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल (पंजीकृत), डायरेक्ट रिक्रूट क्लास **II** इंजीनियरिंगऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य और विजयन बनाम कमलाक्षी देखें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इसके अलावा **के. एथिराजन (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम लक्ष्मी व अन्य**[2] के प्रकरण के निर्णय की कण्डिका 20 में सर्वोच्च न्यालालय मे निम्नलिखित टिप्पणी की :

2 (2003) 10 SCC 578

20. यह तर्क कि पूर्व निर्ण्य (रेस जुडिकाटा) का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है क्योंकि पिछले वाद में संपत्ति का केवल एक भाग सम्मिलित था जबकि बाद के वाद में पूरी संपत्ति विषय वस्तु है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत पूर्व निर्ण्य (रेस जुडिकाटा) का सिद्धांत वहाँ आकर्षित होता है जहां पिछले और बाद के वाद में समान पक्षों के मध्य प्रत्यक्ष और पर्याप्त रूप से सम्मिलित विवाद्यक समान होते हैं, हो सकता है कि पिछले वाद में संपत्ति का केवल एक भाग सम्मिलित था जबकि बाद के वाद में, पूरी संपत्ति विषय वस्तु है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यालालय द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, यह सुस्थापित है कि भले ही वाद संपत्ति का एक भाग पिछले वाद में सम्मिलित था, फिर भी यह उन्हीं पक्षों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य किसी भी बाद के वाद में पूर्व न्याय रेस (जुडिकाटा) करेगा, अतः हमारे सुविचारित मत में, विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को रेस (जुडिकाटा) द्वारा वर्जित होने के कारण सही रीति से खारिज कर दिया है।

18. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील, सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-	सही/-
प्रशांत कुमार मिश्रा	विमला सिंह कपूर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur